प्रेषक,

प्रशान्त मित्तल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0)
बिजनौर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषयः– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर **पुरानी पेंशन योजना** (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत् है कि प्रार्थी प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार, वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0–3), (एम0पी0,एम0एल0ए0), जनपद–बिजनौर के पद पर कार्यरत है।

राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–14/2024/सा-3-243/X-2024/301(1)/2024 Dated 28-06-2024 के द्वारा ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तयो के सापेक्ष हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विकल्प की व्यवस्था प्रदान की गयी है।

महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी–2002 के अन्तर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 28–03–2005 के अन्तर्गत हुई थी, जिसकी विज्ञप्ति संख्या–A-4/E-1/2002 है। उक्त नियुक्ति के अनुक्रम में प्रार्थी की सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में योगदान की तिथि 21–04–2005 है। उस समय प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया था।

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु विज्ञापन, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा विज्ञप्ति संख्या–A-2/E-1/2003 दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 को निर्गत की गयी थी, जिसके अनुक्रम में प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग–4, संख्या–2430/II–4–06–32 (1)2001 टी.सी.–1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006 के द्वारा हुयी है। उक्त सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–949/डी.आर.(एस)/2006, दिनांकित इलाहाबाद, जून 13, 2006 के अनुक्रम में प्रार्थी ने दिनांक 21–06–2006 को जनपद न्यायालय, मेरठ में न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद भार ग्रहण किया था। वर्तमान में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है।

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–14/2024/ सा–3–243/दस–2024 /301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 तथा शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चयन किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है जिसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या–9283/V11b-104/Admin D Section Dated: 08-07-2024 तथा पत्रांक संख्या–9691/1V- F 82 (Pension)/ Admin-(A) Dated: July, 16, 2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(पेंशन/Admin(A) दिनांकित 29 जुलाई 2024 के दिशा निर्देशानुसार पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प के चयन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान अपर महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, गोमती नगर, लखनऊ को भी प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्न है।

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प का चयन करता है,** जिसके लिए प्रार्थी शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प–पत्र प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी का **पुरानी पेंशन का विकल्प–पत्र** माननीय न्यायालय तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय

दिनांक–02–08–2024

(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0),
बिजनौर।
J.O. Code-6174

संलग्नक–

1– विकल्प पत्र।
2– अभियोजन निदेशालय को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति।
3– सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
4– सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।
5– माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना की प्रति।
6– न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ के पद पर कार्य भार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि,

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3– निदेशक, पेंशन, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– जनपद न्यायालय बिजनौर।
7– संबंधित अधिकारी।

दिनांक–02–08–2024

(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0),
बिजनौर।

<u>कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।</u>

पत्रांक संख्या– दिनांक

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।
District Judge
Bijnor-U.P.

शासनादेश संख्या 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

<u>विकल्प–पत्र</u>

1	नाम	प्रशान्त मित्तल
2	वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 3 (एम0पी0/एम0एल0ए0) बिजनौर।
3	वेतनमान	जे 5–1,44,840–1,94,660/– रूपये
4	वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5	राज्य सरकार के अधीन **प्रथम नियुक्ति** के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6	विज्ञप्ति की तिथि	31/12/2002 (विज्ञापन सं0–ए–4/ई–1/2002)
7	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	11–04–2005
8	योगदान की तिथि	21–04–2005
9	राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
10	विज्ञप्ति की तिथि	22–28 नवम्बर 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन सं0–ए–2/ई–1/2003)
11	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26–05–2006
12	योगदान की तिथि	21–06–2006
13	जन्मतिथि	28–08–1977
14	सेवानिवृत्ति की तिथि	31–08–2037

मैं, प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार **शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1) /2024 दिनाँक 28 जून, 2024** के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर– [signature] 2/08/24

नाम– प्रशान्त मित्तल

पदनाम–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 3 (एम0पी0/एम0एल0ए0)

बिजनौर।

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रांक [illegible] 2004/ [illegible] 2005

श्री [illegible]

[illegible]

[illegible]–57 [illegible]पुरी, गली नं0–6 [illegible]
उत्तर प्रदेश ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन [illegible] (पुलिस) अनुभाग [illegible] के कार्यालय ज्ञाप संख्या–[illegible]/[illegible]–पु0–9–[illegible]/2004 दिनांक 28 मार्च, 2005 के द्वारा आपको सहायक अभियोजन अधिकारी वेतनमान [illegible] 6500–[illegible] में [illegible]

2– आपको डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रो के साथ दिनांक–[illegible] 2005 की [illegible] में [illegible] करना है। यदि निर्धारित अवधि तक आप कार्यभार ग्रहण नही करते हैं और न ही आपका समय बढ़ाने के लिए ठोस कारण दर्शाते हुए कोई प्रार्थना–पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो उक्त तिथि के बाद से आपका अभ्यर्थन स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

3– डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– आपको वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा अनुमन्य भत्ता महंगाई भत्ता व समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

5– कार्यभार ग्रहण करते समय आपको [illegible] प्रमाण–पत्र प्रस्तुत [illegible]

1– ओथ आफ एलिजियन्स संबंधी प्रमाण–पत्र।
2– गोपनीयता सम्बंधी प्रमाण–पत्र।
3– [illegible] सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
4– विवाहित होने की दशा में एक पत्नी/पति होने का प्रमाण–पत्र;
5– दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

दिनांक–11.4.2005 से डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद [illegible] आपका 6 माह का [illegible] प्रशिक्षण [illegible] 2 टीशर्ट कालरदार (सफेद), 2 पेंट (सफेद), [illegible] व मोजा, एक काली टाई, एक [illegible] ब्लेक शूज व एक जोड़ी पी0टी0 शूज सफेद, 2 [illegible] व बिस्तर व [illegible] से [illegible] रूपया 3000/– की धनराशि मेस एडवान्स हेतु व अन्य खर्चो हेतु अलग से लेकर आये।

......2/

प्रभार प्रमाण पत्र

पत्रसंख्या-प-449 2005/ दिनांक: [illegible] 2005

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (नि0) [illegible] आम्बेडकर पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया गया ।

[illegible]

प्रशिक्षु [illegible] [illegible]

(सहायक अभियोजन अधिकारी
के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु
आगमन करने के फलस्वरूप)

[illegible]

[illegible]
उ0प्र0मुरादाबाद ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 पुलिस [illegible]
2-अपर निदेशक अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ ।
3-संयुक्त निदेशक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद ।
4 [illegible] मुरादाबाद ।
5-संबंधित अधिकारी ।
6-कार्यालय प्रति ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court

No. 948 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Susri **Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court

No. 949 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court

No. 950 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Susri **Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court..

No. 951 /DR(S)/2006

Sri **Bhoopendra Rai**, Additional Civil Judge [illegible] Allahabad [illegible] appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure [illegible] 2 of 19[illegible] as [illegible] Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh** [illegible] Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad

No. 954 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government [illegible] 32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appoint[illegible] Judicial Magistrate First Class, Mau in vacant court

प्रभार-प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-3 मेरठ का कार्य प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के आदिश मीमों संख्या 2430/द्वितीय-4-2006-32॥ ॥/200। टा॰सी॰-।, दिनांकित 26.5.2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 949/डी॰आर॥एस॥/2006 दिनांकित 13.6.2006 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांक 14.6.2006 के अनुपालन में आज दिनांक 21-06-06 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी ॥प्रभारित मित्तल॥

प्रतिहस्ताक्षरित

21/6/06

जनपद न्यायाधीश,

जिला न्यायाधीश

पत्रांक: 732F/II मेरठ। दिनांक: 21-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. संयुक्त निबन्धक ॥कम्प्यूटर॥ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. उप निबन्धक ॥सर्विसेज॥ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. अनुभाग अधिकारी ॥ नियुक्ति अनुभाग-4॥ उ॰प्र॰ शासन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ॰प्र॰ नवीन कोषागार भवन, ॥प्रथम तल॥ कचहरी रोड, इलाहाबाद।
6. मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
7. सम्बन्धित अधिकारी।

व॰प्र॰ प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय मेरठ।